



HOUSING BOARD
HARYANA

आवास बोर्ड हरियाणा

2019 - 2020 के वार्षिक खाते तथा तुलन पत्र

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

2019-20 के वार्षिक खाते

सूचकांक

क्रम सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1-7
2.	तुलन पत्र	8
3.	आय एवं व्यय खाता	9-10
4.	तालिका - 1 पूंजीगत निधि	11
5.	तालिका - 2 रिजर्व और अधिशेष	11
6.	तालिका - 3 असुरक्षित ऋण	12
7.	तालिका - 4 चालू देयताएं एवं प्रावधान	12
8.	तालिका - 5 स्थाई परिसम्पत्तियां (मुख्यालय)	13
9.	तालिका - 5क स्थाई परिसम्पत्तियां (टेकनीकल)	14
10.	तालिका - 6 चालू सम्पत्तियां	15
11.	तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम	16
12.	तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां	17-18

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. हमने आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के 31 मार्च 2020 तक के सलंगन तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के साथ पठित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत की है। लेखा परिक्षण को नागरिक उद्देश्य को देखते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2019-2020 से 2023-2024 तक करने को कहा गया है जिन पर वित्तीय बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बेहतर लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह- निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, की अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तिः पृथकः निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियों भौतिक अर्थव्यवस्था विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :
 - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
 - ii) हमारे प्रतिवेदन से संव्यवहारित लेखाओं (तुलन-पत्र-तथा व्यय लेखा) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया है।
 - iii) हमारे मत में हरियाणा आवास बोर्ड, अधिनियम 1971 (1971 की हरियाणा अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबन्धित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं। जो ऐसी बहियों में हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
 - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

ए. तुलन पत्र :

ए. परिसम्पत्तियाँ

ए.1 स्थाई टैक्नीकल परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 5 क) : 17.71 करोड़ रुपये

कार्यालय खण्ड एव छात्रवास भवन: 3.99 करोड़ रुपये

स्थाई परिसम्पत्तियों में कार्यालय खण्ड और छात्रवास भवन की 3.99 करोड़ रुपये की कीमत मुख्य हास के पश्चात दर्शायी गई है। फिर भी जिस भूमि पर यह भवन बनाया गया है उसको वित्तिय खातों में नहीं दर्शाया गया है यहाँ तक इसकी वास्तविक कीमत भी, जब की यह बोर्ड की सम्पत्ति है।

ए.2 वर्तमान परिसम्पत्तिया (अनुसूची 6) : 1796.93 करोड़ रुपये

विविध-देनदार- 357.72 करोड़ रुपये (7.93 करोड़ रुपये)

उपरोक्त 7.93 करोड़ के विविध देनदारों में 1.81 करोड़ रुपये के देनदारों का राशि विभिन्न न्यायलयों में लम्बवित है। इन खातों में 0.03 करोड़ का संदिग्ध एवं डूबते ऋण हेतु प्रावधान किय हुआ है। बोर्ड ने 2002-2003 से 2018-2019 के लेखा प्रतिवेदनों में बार-बार टिप्पणी के बावजूद इस सम्बन्ध में उचित प्रावधान नहीं किया है। दूसरे देनदारों के बारे में भी देखा जाये और जिनकी अदायगी संदिग्ध है उनका उचित प्रावधान किया जाये।

2.3 भूमि लागत - 382.24 करोड़ रुपये

भूगतान राशि - 235.70 करोड़ रुपये

231.66 करोड़ स्वयं की लम्बवित भूमि लागत को स्कीमों में बांटना।

निम्नलिखित 9 केसों में बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर विभिन्न भगोड़ा के कारण कोई भी कार्य नहीं किया गया है। बोर्ड में इस प्रकार की भूमि को वापिस करने की कार्यवाही शुरू की हुई है। **आंकड़े रुपये में**

S. No.	City	Sector	Area (acres)	Amount Paid	Pending Bifurcation	Remarks
1.	Faridabad	Sector - 77, 78, 75 & 80	29, 17	17647875	0	Possession not Received
2.	Cheeka M.C. Land	MC	9.85	18051768	19600000	
3	Sonepat	Sector-8	4.75	1580562	0	Possession not Received
4	Kaithal	Kaithal	2.91	1497375	0	
5	Sampla	MC	9.68	29859241	0	
6	Karnal	Hansi/Jind Road	6.38	79892496	114066905	
7	Vill. Kehrki Majra Dhankot	Sec-102A Gurugram	8.48	86246013	44520000	
8	Palwal	Sector-12	4.52	75180540	102979940	
9	Rohtak	Sector-5	2.05	23850108	87350610	
	Total		77.79	333805951	368517455	

उपरोक्त भूमि में 33.38 करोड रुपये भूमि भूगतान के व 36.85 करोड़ रुपये लम्बित भूमि लागत में दर्शाये

गये हैं। क्योंकि ये लागत सामान्य है फिर भी इसकी टिप्पणी लेखा परिक्षा प्रतिवेदन हमें अनुलग्नक में दर्शायी जानी चाहिए जोकि दर्शायी नहीं है।

ए. 4 231.66 करोड़ रुपये की लम्बित भूमि लागत को स्कीमों में बाटना :

उपरोक्त देय राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 31.03.2020 के लम्बित भूमि लागत को दर्शायी गई है। इसमें भूमि लागत की देय किश्त के भूगतान से आखिरी दिनांक तक का ब्याज सम्मिलित नहीं है। देय ब्याज का प्रावधान न करने से भूमि लागत का आवंटन व विविध देन दारो का 80.05 करोड़ रुपये का अवकथन हुआ है।

ए. 5 नकद एवं बैंक जमा :

बैंक जमा (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय) 29.31 करोड़ रुपये।

रोकड पुस्तक के अनुसार बैंकों में जमा राशि का बैंक की किताबों के साथ मिलान किया गया है। रोकड पुस्तक और बैंक पास बुक के 4.52 लाख करोड़ रुपये के अन्तर को बैंक प्रभार खर्च मान लिया है जोकि गलत है आगे माने गए बैंक प्रभार को आय व व्यय खातों के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार तुलन पत्र में बैंक में जमा राशि ठीक नहीं दर्शायी गई है। जिसका सुधार आवश्यक है इस प्रकार बैंक प्रभार का अवकथन एवं नकद एवं बैंक जमा का 4.52 लाख का अधिक कथन हुआ है।

बी. आय एवं व्यय खाता :

बी.1 16.51 करोड़ रुपये की ब्याज की अदायगी :

उपरोक्त के 2.13 करोड़ रुपये (हडको का 1.67 करोड़ रुपये, 0.44 करोड़ रुपये एच.डी.एफ.सी. बैंक का और हारको बैंक का 0.02 करोड़ रुपये)। 2019-2020 से सम्बन्धित सम्मिलित नहीं है। इससे ब्याज व्यय का 2.13 करोड़ रुपये से अवकथन हुआ है। व्यय से आय का भी इस राशि से अधिक कथन हुआ है।

इस उपरोक्त विधि से अनारक्षित ऋणों के टर्म लोन हडको, कर्ज वाहक का पूंजी एच.डी.एफ.सी. बैंक से और हारको बैंक से प्राप्त कार्यवाहक पूजी को भी कम दर्शाया गया है।

बी.2 ग्रेच्यूटी : 0.90 करोड़ रुपये

बोर्ड ने बोर्ड के कर्मचारी की ग्रेच्यूटी की अदायगी करने के लिए भारतीय बीमा निगम से दो पालीसियाँ ले रखी है। 2019-2020 के लिए वास्तविक गणना के अनुसार ग्रेच्यूटी की अदायगी करने के लिए 5.03 करोड़ की राशि मांगी थी। इस पर बोर्ड ने 0.90 करोड़ की राशि जुलाई 2020 में अदा कर दी जिसे 2019-2020 के लिए खर्चा दर्शाया गया। फिर भी 4.13 करोड़ से अब कथन हुआ है। आय या व्यय से अधिक कथन हुआ है।

बी.3 निम्नलिखित 0.28 करोड़ के रुपये जो 2019-2020 से सम्बंधित है जिनकी 2020-2021 में अदायगी की गई है खातों में नई दर्शाये गये

क्रमांक	खर्चे	लागत
1	विज्ञापन खर्चे	2496781
2	आडिट फीस	215000
3	कानूनी व्यय	63250
	कूल खर्चे	2775031

इसमें खर्चों का व दायित्व के 0.28 करोड़ रुपये से अवकथन हुआ है। इसी लागत से आय का व्यय का आधिक्यका भी अधिक कथन हुआ है।

सी. अनूसूची 8 में लेखा नित्तियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ लेखा नित्तियों एवं

लेखा नित्तियों एवं लेखों पर टिप्पणियों के बिंदु 5 के अनुसार मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मुल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है। फिर भी आंबटन की शतों के अनुसार घरों का हस्तांतरण अधिकतम बिक्री के आधार पर किया जाता है और जिस लागत पर घर एक बार बेचा जाता है तो उसकी कानविंयस डीड खरीद के 13 वर्ष के उपरांत या सारे बकाया देने के बाद की जाती है। परन्तु बोर्ड ने इस प्रकार की प्रविष्टी को मकानों की अलाटमेंट को बिक्री में अंकित किया है। इस वास्तविकता को बोर्ड ने लेखा नित्तिया एवं टिप्पणियों में नहीं दर्शाया है और इस प्रकार टिप्पणी में यह कमी है।

डी. सामान्य

डी.1 चालू परिसम्पत्तियों में 35.71 करोड़ रुपये भूमि लागत की लम्बित आंबटन के सम्मिलित है। यह हांसी सेक्टर 5 के इ. डब्ल्यू, एस समूह आवासीय स्कीम के जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को देय है भी सम्मिलित है। यह राशि झगड़े में है क्योंकि विकास प्राधिकरण ने 4798.90 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति राशि की मांग कर रखी है जबकि यह भूमि 300 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आवास बोर्ड को आवांटींग की जा चुकी है।

डी.2 2020-21 की चालू परिसम्पत्तियों (अनुसूची-6) में 231.66 करोड़ रुपये की राशि लम्बित भूमि लागत के लम्बित निपटारे हेतु दर्शायी गयी है। भूमि से सम्बन्धित सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

डी.3 2019-20 की अनुसूची 7 में दर्शाये गये 69.70 करोड़ रुपये ऋण एवं अग्रिम राशि के थे जो कि असमाधनित तथा अप्रष्ट थे।

ई. अनुदान सहायता

इस साल बोर्ड ने कोई भी अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है।

एफ : प्रबन्ध पत्र

कमियां जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई है, उपचारात्मक एवं सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अलग से जारी प्रबन्ध-पत्र के माध्यम से आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के ध्यान में लाई गई है।

जी. खर्चों से अधिक आय की रिपोर्ट पर उपरोक्त टिप्पणी से 6.54 करोड़ बनाया है अगर ये खातों में सम्मिलित किया जाता तो 6.50 करोड़ रुपये अधिक दर्शायी गई राशि घट कर 0.04 करोड़ रह जाती है।

एच. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई अभ्युक्तियों के आधीन हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से सव्यवहारिव तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खातों लेखा वहियों से मेल खाते हैं।

आई. हमारे मत में तथा हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में वर्णित उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों तथा अन्य मुद्दों के अध्यधीन तथा लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के

(5)

साथ पठिन कथित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं।

- (क) जहां तक यह 31 मार्च 2020 को आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है,
- (ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अधिक्व से संबंधित हैं।

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : चण्डीगढ़
दिनांक : 15.06.2023

हस्ता,
नननीठ गुप्ता
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हरियाणा, चण्डीगढ़

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

बोर्ड में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित क्षेत्रों में कमी पाई गई थी :

ए) बोर्ड ने कोई लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं की है।

बी) नकद स्टॉक और अन्य कीमती सामानों से निपटने वाले कर्मचारियों के कर्तव्यों से बदलने की कोई प्रणाली/योजना नहीं है।

सी) भूमिगत संपत्तियों और भवन के लिए शीर्षक कार्यों की संपत्ति रजिस्टर/सूची बोर्ड द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

डी) बोर्ड ने अग्रिम के समायोजन हेतु कोई भी कार्य प्रणाली/नियम नहीं बनाये जिससे इसकी वसूली हो सके या इसकी जाँच पडताल के बाद समाप्त (राईट आफ) कर दिया जाये।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

4. वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन बोर्ड द्वारा किया गया था।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड समय पर सविधानिक देयों को सम्बन्धित विभागों में जमा करने में नियमित था।

हस्ता.

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एम.जी. - IV)

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
31 मार्च 2020 का तुलनपत्र

विवरण	तालिका	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
देयताएं			
पूँजीगत निधि	1	4242702874	4177736531
रिज़र्व और अधिशेष	2	3805995127	3735795127
असुरक्षित ऋण	3	4808533879	4837710265
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	5994682867	5587373503
कुल जोड़		18851914747	18338615426
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	5 & 5A	185604763	202575296
चालू परिसम्पत्तियां	6	17969275547	17501088300
कर्ज तथा पेशगियां	7	697034437	634951830
कुल जोड़		18851914747	18338615426

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
वित्तीय विवरणों पर नोट्स

8

दिल्लों एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन)

(सी० ए० राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम० नं० 090661

हस्ता.
राजदीप फोगाट
अध्यक्ष

हस्ता.
डॉ. अंशज सिंह, आई.ए.एस.
मुख्य प्रशासक

हस्ता.
चन्दर मोहन
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला
दिनांक : 15.01.2021

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला वर्ष 2018-2019 का आय एवं व्यय खाता

खर्चे	31.3.2020 के आंकडे	आय	31.3.2020 के आंकडे	31.3.2019 के आंकडे
केतन	173666251	विभिन्न फार्मों की बिक्री	88871	2696795
ई.पी.एफ	14689337	जुमाने (अलोटी)	17384126	15404349
चिकित्सा व्यय	3955742	इन्विस्टमेंट शुल्क	60000	66000
मानदेय	775838	कार्टीनियों की बीमा खर्चों की वसूली	1921479	1912521
ग्रेजुटी	9000000	प्रोसेसिंग एवं स्थानांतरण प्रभार	18442495	25397100
अवकाशीय यात्रा रियायत	1670113	मकान किराया कटौती	3687153	2130020
यात्रा व्यय (स्टाफ)	2057580	एच.पी.टीए. फार्म की फीस	21945	26659
बिजली पानी का व्यय	2237445	किराया प्राप्त	14515920	8597604
मनोरंजन व्यय	341139	रजिस्ट्रेशन राशि जल्द	7646519	3730991
कानूनी व्यय	2416741	देख-रेख व्यय की प्राप्ति	0	31000
किराया	555737	विभिन्न प्राप्तियाँ	4860807	9626410
अखबार व्यय	14387	विभिन्न प्राप्तियाँ (RTI)	6040	0
डाक का व्यय	460032	आय से व्यय का आधिक्य	225528921	231333203
लेखन व छपाई	1289059			
स्टाफ कार/जीप खर्च	3165297			
बिज्ञापन	1758442			
पुरम्मत व्यय	968874			
स्टाफ वेल्फेयर	300347			
अनुदान	100000			
विभिन्न खर्चे	35367			
वाहन खर्चे	827977			
टेलीफोन व्यय	413235			
फोटोस्टेट व्यय	107616			
प्रशिक्षण शुल्क	0			
ऑडिट फीस	808958			
गेस्ट हाऊस के रख-रखाव पर खर्च	17324752			
मूल्य हास	706591			
कम्प्यूटर खर्चे	2192065			
कार्यालय भवन रखरखाव पर खर्चे	1130662			
नई पेंशन स्कीम	2748532			
स्टाफ क्वार्टर के रखरखाव खर्चे	195144			
परामर्श फीस	350591			
हाऊसिंग कालोनियों का बीमा शुल्क	579502			
बैंक शुल्क	9000			
गेहूँ ऋण माफी	456851			
यात्रा व्यय (चैयरमैन)	4449865			
मैन पावर आपूर्ति सेवाएं	307897			
आई.टी. सॉफ्टवेयर खर्चे	106428			
लाभ/प्रशासनिक शुल्क की राहत	1116200			
कुल जोड़	294164276	कुल जोड़	294164276	300952652

आय से व्यय का आधिक्य	225528921	231333203	ब्याज प्राप्ति अलाटियों से	316683871	320909049
दिया गया ब्याज	165125645	147462675	ब्याज प्राप्ति अन्यो से	6578394	31104428
आयकर के लिए प्रावधान	76891407	99404436	मकानों की बिक्री से लाभ/हानि	225662376	307913763
पिछले वर्ष का आयकर	14942847	0	बूथ और मकानों की निलामी से आय	68730522	16549406
दूसरे दायित्वों के निपटारे हेतु खर्च	20200000	105000000	आयकर के लिए अतिरिक्त प्रावधान की वापिसी	0	3743520
व्यय से आय का आधिक्य	64966343	97019852			
कुल जोड़	617655163	680220166	कुल जोड़	617655163	680220166

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस
 चार्टर्ड एकाउंटेंटस
 (फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन)

(सी० ए० राजेश मल्होत्रा)
 पार्टनर
 एम० नं० 090661

हस्ता.
 राजदीप फोगाट
 अध्यक्ष

हस्ता.
 अंशज सिंह, आई.ए.एस.
 मुख्य प्रशासक

हस्ता.
 चन्दर मोहन
 मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला
 दिनांक : 15.01.2021

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 1

पूँजीगत निधि

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4177736531	4080716679
जमा : चालू वर्ष में व्यय से आय का आधिक्य	64966343	97019852
कुल जोड़	4242702874	4177736531

तालिका - 2

रिज़र्व और अधिशेष

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
विभिन्न दायित्वों के भुगतान हेतु आरक्षित कोष	3805995127	3735795127
कुल जोड़	3805995127	3735795127

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
तालिका - 3
असुरक्षित ऋण

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
HUDCO से ऋण	0	2057543667
एन.एच.बी. से ऋण	738380000	806080000
पी.एन.बी. से ऋण	650000000	480000000
एच.डी.एफ.सी. से कार्यशील पूंजी	503303594	496087598
HARCO बैंक से कार्यशील पूंजी	1026234156	997999000
इलाहाबाद बैंक से कार्यशील पूंजी	1890616129	0
कुल जोड़	4808533879	4837710265

तालिका - 4 चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
ए) चालू देयताएं		
प्रोस्पोक्टिव खरीददारों का जमा पंजीकरण	2379801858	2509242731
ठेकेदारों की प्रारम्भिक राशि	235268	257368
ठेकेदारों द्वारा जमा प्रतिभूति	172327520	176890175
अतिरिक्त लेनदार	2587056102	2118427593
कर्मचारियों द्वारा जमा प्रतिभूति	8070	8070
अदा करने योग्य खर्च	8186021	10781994
जमा करने योग्य कटौतियां	4392071	3880768
आबंटियों की अतिरिक्त जमा राशि	1443130	1443130
कर्मचारियों को देय खर्च	3467673	3924017
पूंजीगत लागत पर देय खर्च	487816971	448480766
पंजीकृत प्रार्थियों को देने योग्य ब्याज	13027215	20598563
कालोनियों के रख रखाव पर देय खर्च	27954467	18681249
जी. एस. टी. देय	100658317	42784267
ठेकेदारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति	64670845	55887845
बी) प्रावधान		
संदिग्ध एवं डूबे हुए खर्चों का प्रावधान	344841	344841
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	66401091	76335690
आयकर का प्रावधान	76891407	99404436
कुल जोड़	5994682867	5587373503

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 5

स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2020 तक का विवरण (मुख्यालय) (आंकड़े रूपये में)

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2019	वर्ष के दौरान 1.4.2019 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2019 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2020 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2020	
फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	1927204	143217	88500	0	2158921	211467	1947454
आफिस का सामान	15	325914	52999	1298	0	380211	56934	323277
बिजली का सामान	15	1135468	221824	17927	0	1375219	204939	1170280
साईकिल	15	6813	0	0	0	6813	1022	5791
स्टाफ कार	15	3903848	0	0	0	3903848	585577	3318271
किताबें	15	23032	0	0	0	23032	3455	19577
कम्प्यूटर	40	2406238	93737	286448	0	2786423	1057280	1729143
कुल (₹)		9728517	511777	394173	0	10634467	2120674	8513793
टेक्नीकल (₹)								
तालिका 5 (क) के अनुसार		192846779	47617	0	599348	192295048	15204077	177090970
सकल जोड़		202575296	559394	394173	599348	202929515	17324752	185604763

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला
तालिका - 5क

स्थाई परिसम्पत्तियां का 31.3.2020 तक का विवरण (टेकनीकल)

विवरण	घटा मूल्य 1.4.2019	वर्ष के दौरान 1.4.2019 तक खरीद	वर्ष के दौरान 30.9.2019 के बाद खरीद	वर्ष के दौरान निपटान	31.3.2020 तक कुल लागत	वर्ष के दौरान घिरावट	घटा मूल्य 31.3.2020
1. भूमि							
क) आफिस	0	384056	0	97224	286832	0	286832
ख) विश्राम गृह	0	85540	0	0	85540	0	85540
ग) आवास भवन	0	318000	0	0	318000	0	318000
घ) स्टाफ क्वार्टर	0	11758448	0	0	11758448	0	11758448
ड) विश्वकर्मा संस्थान	0	25200000	0	0	25200000	0	25200000
2. ईमारत							
क) आफिस	10	4032815	0	478624	3554191	355419	3198772
ख) विश्राम गृह	10	912120	0	0	912120	91212	820908
ग) आवास भवन	10	4648710	0	0	4648710	464871	4183839
घ) स्टाफ क्वार्टर	5	7758464	0	0	7758464	387923	7370541
ड) कार्यालय खण्ड और होस्टल बिल्डिंग	10	44294195	0	0	44294195	4429420	39864775
च) विश्वकर्मा संस्थान	10	90624240	0	0	90624240	9062424	81561816
3. फर्नीचर और फिक्सचर्स	10	1180950	16900	0	1197850	119785	1078065
4. आफिस का सामान	15	69109	0	0	69109	10366	58743
5. बिजली का सामान	15	609229	30717	0	639946	95992	543954
6. साईकिल	15	2143	0	0	2143	322	1821
7. स्टाफ कार	15	784302	0	23500	760802	114120	646682
8. किताबें	15	6242	0	0	6242	937	5305
9. कम्प्यूटर	40	178216	0	0	178216	71287	106929
कुल जोड़ (₹)		192846779	47617	599348	192295048	15204077	177090970

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 6 चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रूपये में)

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
कालोनियों की कीमत		
लागत	2931303013	500172101
घटाएँ : प्राप्ति	2431130912	777962207
विभिन्न देनदार		
-मकानों के आबटियों से	3338747840	3190519801
-दुकानों और प्लाटों के आबटियों से	159170574	90049185
-अन्य	79281599	79380622
जमीन की लागत		
-दी गई कीमत	2357003334	2317790199
-जमीन की लागत जो कि अभी स्कीमों पर बांटनी है	2316595612	1504650132
मकान निर्माण सामग्री		
-डिवीजनों से	16244271	18914931
-ठेकेदारों के पास	61052043	70224790
-भूमि मुआवज़ा देय/प्राप्ति	571356863	1066960889
-मिलने वाला ब्याज	15877	760403
नकद और बैंक जमा		
-नकद मुख्यालय में	0	0
-नकद डिवीजन्स में	0	30
बैंक जमा		
-मुख्यालय में	257049633	238951130
-डिवीजन्स में	36028524	35629784
फिक्सड डिपोजिट (प्राप्ति)	5000000	5000000
फिक्सड डिपोजिट (स्टाफ सिक्योरिटी)	1800	1800
कर्मचारियों के अग्रिम पर अर्जित ब्याज	3683775	4032447
बिना बिके हुए मकान	8255350452	8088647442
पहले अदा किए हुए खर्च	1714077	2057470
आर्बीट्रेशन अवार्ड वसूली/देय राशि	5843560	6146483
न्यायालय में लंबित केसों से वसूली/देय राशि	787774	755774
मिलने वाला किराया	4175838	2652781
कुल जोड़(₹)	17969275547	17501088300

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 7 ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपये में)

विवरण	31.3.2020 के आंकड़ें	31.3.2019 के आंकड़े
सुरक्षित अग्रिम		
-ठेकेदारों को अग्रिम	95513235	24370934
-कर्मचारियों को वाहन के लिए अग्रिम	717016	1150781
-कर्मचारियों को दूसरे उद्देश्यों के लिए अग्रिम	3415074	5001570
-विभिन्न विभागों में जमा प्रतिभूमि	1800531	1700531
असुरक्षित अग्रिम		
-कर्मचारियों को अग्रिम	1253562	1600390
-सप्लायरों को अग्रिम	6642217	8946869
-विभिन्न कार्यों के लिए अग्रिम	99379654	103577120
आयकर		
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2007-08	7638000	7638000
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2008-09	278720	278720
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2009-10	0	185418
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2010-11	0	873520
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2011-12	30661228	30661228
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2012-13	10280611	10280611
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2013-14	145899	145899
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2014-15	11803930	3000000
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2015-16	31167380	31167380
-आयकर वसूली योग्य वर्ष 2017-18	264876136	264876136
-सेवा कर विवादित/वसूली योग्य	0	137142000
-आयकर वर्ष 2017-18	0	2258383
-विभिन्न स्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2017-18	1576144	0
-अग्रिम आयकर वर्ष 2018-19	104832000	0
-विभिन्न स्रोतों द्वारा काटा गया कर वर्ष 2018-19	25053100	0
कुल जोड़	697034437	634951830

आवास बोर्ड हरियाणा, पंचकूला

तालिका - 8 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां (31.03.2020 के तुलनपत्र व आय और व्यय लेखा का वित्तीय भाग)

1. खाते संस्था के इतिहासिक लागत में वाणिज्यिक विधि के आधार पर बनाये गये है। वित्तीय लेखे प्रचलित लेखा नियमों के आधार पर बनाये गये हैं।
2. लेखांकन नीतियां जो कि विशेष रूप से संदर्भित नही की गई, वह आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।
3. आवश्यकता अनुसार पिछले साल के आंकड़ों को इकट्ठा/समायोजन कर लिया गया है।
4. आयकर कानून 1961 के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों का ह्रास मूल्य नीति के अनुसार अवमूल्यन किय गया है। किसी भी प्रकार की परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान पुनर्निधारक नहीं किया गया है।
5. मकानों की बिक्री का लाभ व हानि लागत मूल्य व बिक्री मूल्य के अन्तर को दर्शाता है।
6. वित्तीय विवरण में ऋण एवं अग्रिम, देनदारियां, लेनदारियां, जमा प्रतिभूतियां, कर्मचारियों को देय राशि, आबंटियों का पंजीकरण व अतिरिक्त जमा राशि, अग्रिम राशि ठेकेदारों की जमा प्रतिभूतियां और दूसरे नाम व जमा राशियां जो बिना पुष्टि के दर्शाई गई है, उनकी वसूली उसी मूल्य पर ही मानी जाएगी अगर वो सामान्य व्यवस्था में वसूल हो जाती है।
7. बोर्ड की कालोनियों/स्थानों पर होने वाले खर्चों को पूंजी खाते पर देय खर्च के रूप में दर्शाया गया है।
8. अवकाश देय राशि का प्रावधान प्रत्येक कर्मचारी के देय अवकाश के अनुसार किया गया है।
9. आई.सी.ए. आई. द्वारा जारी ए. एस. 7 में अंकित ठेका पद्धति का खाते बनाने में अनुसरण किया गया है।
10. बिना बिके हुए मकानों को उनकी मूल लागत पर दर्शाया गया है। इसके अलावा वर्ष के दौरान सरेन्डर मकानों को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है।
11. आवास बोर्ड के विरुद्ध 38163993.00 रुपये का घोषित आर्बीट्रेशन एवार्ड अभी निर्णत नहीं है। इसी प्रकार 11481451.00 का बोर्ड के पक्ष में एवार्ड भी निर्णीत नहीं है। ये राशियां तुलन पत्र में नहीं दिखाई गई हैं।
12. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार कर योग्य लाभ पर आयकर का प्रावधान किया गया है।
13. हुडको, एन.एच.बी. और पी.एन.बी. से अवधि ऋण बोर्ड की कोई भी संपत्ति बंधक रखे बिना, हरियाण सरकार की गारंटी पर लिया है।
14. बोर्ड ने जीवन बीमा निगम की ग्रेच्युटी फण्ड की मास्टर पालिसी को अपनाया है, जिससे बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर संविधानिक दायित्व की पूर्ति की जा सके। 31.3.2020 को जीवन बीमा निगम ने कुल

51469539.70 रुपये का शुद्ध बकाया प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो कि गेच्युटी का भुगतान करने के पश्चात् दर्शाया गया है।

15. बोर्ड का संस्थागत ढांचा व कार्यकारी नीतियां हरियाणा सरकार की मकान व भलाई की योजनाओं को मध्यनजर रखते हुए बनाई गई है।
16. पैसों के आंकड़े को रुपयों में परिवर्तित कर दिया है।

ढिल्लों एण्ड एसोसिएटस

चार्टर्ड एकाऊंटैंटस

(फर्म का रजिस्ट्रेशन नं० 002783 एन)

(सी० ए० राजेश मल्होत्रा)

पार्टनर

एम० नं० 090661

हस्ता.
राजदीप फोगाट
अध्यक्ष

हस्ता.
अंशज सिंह, (आई.ए.एस.)
मुख्य प्रशासक

हस्ता.
चन्दर मोहन
मुख्य लेखा अधिकारी

स्थान : पंचकूला

दिनांक : 15.01.2021

